NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

वार्षिक प्रतिवेदन
2015 -2016

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

प्रोद्योगिकी

शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में ..... 4 -10

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण

1. तुलन पत्र-एनएबी 12
2. आय और व्यय लेखा-एनएबी 13
3. तुलनपत्र की अनुसूची-एनएबी 14-23
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा-एनएबी 24-25
5. खातों पर नोट्स-एनएबी 26-27

एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 28-39

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।

2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।

3 सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।

ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।

iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।

iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।

v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बैंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।

vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।

vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।

viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।

ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।

x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।

xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।

4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:

- साधारण सदस्य;
- कार्यात्मक सदस्य;
- सदस्य केंद्र;
- संबद्ध सदस्य;
- मनोनीत सदस्य;
- मानद सदस्य;

शासी परिषद की वर्तमान संरचना

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड

19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स
20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:

i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।

ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम) के साथ विनिमय का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।

iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।

iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।

7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटीग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई। यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
- संघटक विकास

आईकैट परिसर-1, मानेसर

आईकैट परिसर,-2, मानेसर

विद्युतचुंबकीय संगतता प्रयोगशाला

टेस्ट ट्रैक

ii. **वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) चेन्नई , तमिलनाडु:** वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं। केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- विद्युत-चुम्बकीय अंत:क्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
- उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
- इन्फोट्रॉनिक्स

जीएआरसी,चेन्नई

ईएमसी/ईएमआई परीक्षण प्रयोगशाला

स्टीयरिंग पैड (टेस्ट ट्रैक)

प्रमाणन प्रयोगशाला

iii. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट (ट्रैक्स-इंदौर) :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ मे विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है। केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- वाहन गतिकी (वीडीवाई)

नैट्रैक्स, इंदौर

वाहन गतिकी (वीडीवाई)

ट्विस्ट ट्रैक

उबड़-खाबड़(रफ) सड़क

iv. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी-सिलचर):** एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबोंड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं। इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।

जाफिरबोंड परिसर

यांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान

8. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।

9. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना
2015-2016

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र
31 मार्च, 2016 को

(राशि ₹ में)

कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	18,60,87,824	2,99,81,125
कुल		**18,60,87,824**	**2,99,81,125**
संपत्तियां	**अनुसूची**	**राशि (₹) 31.03.2016 को**	**राशि (₹) 31.03.2015 को**
अचल संपत्तियां	8	71,763	-
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	
निवेश-अन्य	10	-	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	11	18,55,02,202	2,92,95,980
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		5,13,859	6,85,145
		-	-
कुल		**18,60,87,824**	**2,99,81,125**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए **राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड़) **अवर सचिव**
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBL3043

दिनांक: 29-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

आय एवं व्यय लेखों का विवरण
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी (एएस-12 के अनुसार आस्थगित आय)	13	91,41,981	29,73,268
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से, निधियों में स्थानांतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	-	-
अन्य आय	18	-	-
तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		**91,41,981**	**29,73,268**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	15,86,484	19,38,145
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	75,09,554	10,35,123
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल-अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	45,943	-
कुल (ख)		**91,41,981**	**29,73,268**
शेष राशि व्यय पर आय का अधिक होना (क-ख)		-	-
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण			
शेष अधिशेष/(घाटा) को कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया जाता है		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए | **राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड़) | **अवर सचिव**
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBL3043

दिनांक: 29-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 1- कॉर्पस/पूंजी निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्ष के आरंभ में शेष राशि		-		-
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि में योगदान		-		-
जोड़ें/(घटाएं):आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष		-		-
कुल		**-**		**-**

अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. पूंजी रिजर्व		-		-
पिछले खातों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		-		-
पिछले खातों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
3. विशेष रिजर्व		-		-
पिछले खातों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
4. सामान्य रिजर्व		-		-
पिछले खातों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
कुल		**-**		**-**

अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क 1) अनुसंधान एवं विकास निधि (अनुसूची 25 की नोट संख्या 5 देखें)				
1) फंड का प्रारंभिक शेष		-		-
2) वर्ष के दौरान वृद्धि		2,50,00,000		1,64,00,000
i. दान/अनुदान				
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय				
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				
कुल (क1)	**-**	**2,50,00,000**	**-**	**1,64,00,000**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख1) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय				
i. पूंजीगत व्यय				
-अचल संपत्तियां				
-अन्य (अनुसंधान एवं विकास हेतु देय व्यय)		2,50,00,000		1,64,00,000
ii. राजस्व व्यय				
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।				
किराया				
अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल (ख1)	**-**	**2,50,00,000**	**-**	**1,64,00,000**
शुद्ध राशि (क1-ख1)		**-**		**-**
क 2) मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) निधि (अनुसूची 25 की नोट संख्या 6 देखें)				
क) फंड का प्रारंभिक शेष		-		-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि				
i. दान/अनुदान		38,91,50,000		-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय				
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य		7,52,93,725		
कुल (क 2)		**46,44,43,725**		**-**
ख2) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय				
i. पूंजीगत व्यय				
-अचल संपत्तियां				
-अन्य				
ii. राजस्व व्यय				
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।				
किराया				
अन्य प्रशासनिक व्यय				
वर्ष के दौरान वितरित डीआईडीएम अनुदान		32,72,98,525		
वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान		13,71,45,200		
कुल (ख2)	**-**	**46,44,43,725**	**-**	**-**
कुल (क2-ख2)				
कुल [(क1-ख1)+(क2-ख2)				

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार (राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-	-	-
घ) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-	-	-
8. अन्य	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार		-		-
क) माल के लिए		-		-
ख) अन्य		57,619		48,904
3. अग्रिम राशि प्राप्त हुई		-		-
4. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		-		-
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-		-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-		-
5. वैधानिक दायित्व		-		-
क) अतिदेय		-		-
ख) अन्य		-		64,726
6. अन्य चालू देयताएं				
क) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु देय अनुदान		2,50,00,000		1,64,00,000
ख) देय व्यय		-		1,18,690
ग) अर्जित ब्याज जो भारत सरकार को देय है (अनुसूची 25 की नोट संख्या 3 देखें		254		3,22,073
कुल (क)		**2,50,57,873**		**1,69,54,393**
ख. प्रावधान				
1) कराधान के लिए		-		-
2) ग्रेच्युटी		-		-
3) सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4) संचित अवकाश नकदीकरण		-		-
5) व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान के लिए प्रावधान		13,71,45,200		-
कुल (ख)		**13,71,45,200**		**-**
ग. अन्य परियोजना अनुदान (स्थापना और बुनियादी ढांचा व्यय [अनुसूची 25 की नोट संख्या 4 देखें])				
प्रारंभिक जमा	1,30,26,732		10,00,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,00,00,000		1,50,00,000	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	91,41,981	2,38,84,751	29,73,268	1,30,26,732
कुल (ग)		**2,38,84,751**		**1,30,26,732**
कुल (क+ख+ग)		**18,60,87,824**		**2,99,81,125**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अचल संपत्तियों की अनुसूच

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची-8

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	लागत/मूल्यांकन आरंभ मे	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	अंत में लागत/ मूल्यांक	वर्ष की शुरुआत मे	वर्ष के दौरान वृद्धि पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपकरण	-	48,195	-	48,195	-	4,237	-	4,237	43,958	-
7. कंप्यूटर/उपकरण	-	69,511	-	69,511	-	41,706	-	41,706	27,805	-
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और डब्ल्यू.सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल योग	-	**1,17,706**	-	**1,17,706**	-	**45,943**	-	**45,943**	**71,763**	-
पिछले वर्ष	-		-		-	-	-	-	-	
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल									**71,763**	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 10- निवेश-अन्य

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 11- चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. वर्तमान परिसंपत्तियां				
1. इन्वेंटरी			-	-
क) स्टोर और स्पेयर्स	-		-	
ख) फुटकर उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-		-	
-तैयार माल	-		-	
-काम चालू	-		-	
-कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार				
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकद शेष		20,000		20,000
4. बैंक बैलेंस				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाता	-		-	
- जमा खाता	-		-	
- बचत खाता	11,01,88,477	11,01,88,477	2,74,97,128	2,74,97,128
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाता	-		-	
- जमा खाता	-		-	
- बचत खाता	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खात		-		-
कुल (क)		**11,02,08,477**		**2,75,17,128**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य				
1. ऋण		-		-
एक कर्मचारी		-		-
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं		-		-
ग) NATRIP को अग्रिम				
घ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक को अग्रिम				17,78,852
2. अग्रिम राशि और अन्य राशियाँ जो प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य हैं:		-		-
क) पूंजी खाते पर	-		-	
ख) पूर्व भुगतान पर	-		-	
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य		7,52,93,725		
3. अर्जित आय:		-		-
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-		-	
ख) निवेश पर	-		-	
ग) ऋण और अग्रिम पर	-		-	
घ) अन्य	-		-	
4. प्राप्य दावे		-		-
कुल (ख)		**7,52,93,725**		**17,78,852**
कुल (क+ख)		**18,55,02,202**		**2,92,95,980**

अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. बिक्री से आय		-		-
क) तैयार माल की बिक्री		-		-
ख) कच्चे माल की बिक्री		-		-
ग) स्क्रैप की बिक्री		-		-
2. सेवाओं से आय		-		-
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		-		-
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क		-		-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज		-		-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		-		-
ङ) अन्य कृपया निर्दिष्ट करे		-		-
कुल		**-**		**-**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 13- अनुदान/सब्सिडी (राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) केन्द्र सरकार		-		-
2) राज्य सरकार		-		-
3) सरकारी एजेंसियां		-		-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-		-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		-		-
6) स्थापना एवं बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए अनुदान (अनुसूची 25 के नोट संख्या 1 का संदर्भ लें)		91,41,981		29,73,268
कुल		**91,41,981**		**29,73,268**

अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य कृपया निर्दिष्ट करे	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 15- निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/प्रदान की गई निधि से, निधियों में स्थानांतरित)

विवरण	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) ब्याज		-		-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-		-	
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-		-	
2) लाभांश		-		-
क) शेयरों पर	-		-	
ख) म्यूचुअल फंड पर	-		-	
3) किराया		-		-
4) अन्य		-		-
कुल		-		-

अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. रॉयल्टी से आय		-		-
2. प्रकाशन से आय		-		-
3. अन्य		-		-
कुल		-		-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 17- अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) सावधि जमा पर		-		-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
ग) संस्थाओं के साथ		-		-
घ) अन्य		-		-
2) बचत खाते पर		-		-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
ग) संस्थाओं के साथ		-		-
घ) अन्य		-		-
3. ऋण पर		-		-
क) कर्मचारी/स्टाफ		-		-
ख) अन्य		-		-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज		-		-
कुल		-		-

अनुसूची 18- अन्य आय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		-		-
क) स्वामित्व वाली संपत्ति		-		-
ख) अनुदान से अर्जित या नि:शुल्क प्राप्त संपत्तियां		-		-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ		-		-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		-		-
4. विविध आय		-		-
कुल		-		-

अनुसूची 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) समापन स्टॉक		-		-
क) तैयार माल		-		-
ख) कार्य प्रगति पर		-		-
2. कम प्रारंभिक स्टॉक		-		-
क) तैयार माल		-		-
ख) कार्य प्रगति पर		-		-
कुल		-		-

अनुसूची 20- स्थापना व्यय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) वेतन एवं मजदूरी		15,86,484		19,38,145
ख) भत्ते और बोनस		-		-
ग) भविष्य निधि में अंशदान		-		-
घ) अन्य निधि में योगदान		-		-
ङ) कर्मचारी कल्याण निधि		-		-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय		-		-
छ) अन्य		-		-
कुल		**15,86,484**		**19,38,145**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2016 को

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) खरीदारी				-
ख) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय				-
ग) कार्टेज और कैरिज अंदर की ओर				-
घ) बिजली एवं ऊर्जा				-
ङ) जल प्रभारित				-
च) बीमा				-
छ) मरम्मत और रखरखाव				-
ज) उत्पाद शुल्क				-
झ) किराया, दरें				-
ञ) वाहन चलाना और रखरखाव		57,619		-
ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क		18,993		16,936
ठ) मुद्रण और स्टेशनरी		-		-
ड) यात्रा एवं परिवहन शुल्क		6,14,827		83,691
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय		20,33,480		-
ण) सदस्यता व्यय		-		-
त) फीस पर व्यय		-		-
थ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		-		-
द) आतिथ्य व्यय		-		-
ध) व्यावसायिक प्रभार		9,48,568		7,63,180
न) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-		-
प) वसूली न की जा सकने वाली शेष राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया		-		-
फ) पैकिंग शुल्क		-		-
ब) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय		-		-
भ) विज्ञापन		-		-
म) बैंक शुल्क		502		30
य) निगमन-पूर्व व्यय (अनुसूची 25 की नोट संख्या 2 देखें)		1,71,286		1,71,286
र) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर व्यय		24,64,279		-
ल) अनुसंधान और विकास व्यय		12,00,000		-
कुल		**75,09,554**		**10,35,123**

अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		-		-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिड		-		-
कुल		-		-

अनुसूची 23- ब्याज

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) निश्चित ऋण पर		-		-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)		-		-
ग) अन्य		-		-
कुल		-		-

रराष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को	भुगतान	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को
I. **प्रारंभिक शेष**			I. **व्यय**		
क) उपलब्ध शेष	20,000.00		बैंक शुल्क	289.00	30.00
ख) बैंक खाते			परामर्श शुल्क	10,02,906.00	7,08,842.00
i) चालू खातों में	-	-	वेतन	17,64,466.00	17,60,163.00
ii) जमा खातों में	-	-	टेलीफोन एक्सप	18,993.00	16,936.00
iii) बचत खाते	2,74,97,128.00		यात्रा एवं भ्रमण व्यय	2,98,426.00	83,691.00
			वेबसाइट विकास और सॉफ्टवेयर अनुभव	6,85,427.00	17,78,852.00
			कार किराये का शुल्क	3,80,656.00	-
II. **प्राप्त अनुदान**			सम्मेलन व्यय	33,480.00	-
क) भारत सरकार से	43,41,50,000.00	3,14,00,000.00	प्रदर्शनी व्यय	20,00,000.00	
			विविध व्यय	27,388.00	
			अनुसंधान एवं विकास व्यय	1,76,00,000.00	
			प्रोत्साहन खाता	32,72,07,095.00	
			एनएबी सलाहकार को भुगतान की गई राशि	-	1,100.00
III. **प्राप्त ब्याज**			II. **अतिरिक्त धन की वापसी**		
क) बचत बैंक पर	32,22,555.00	3,22,073	क) भारत सरकार को	-	
नेट्रिप सोसायटी से प्राप्त राशि (नेट्रिप फंड बैलेंस)		1,43,569.00	**III. अन्य भुगतान**		-
एनएबी सलाहकार द्वारा जमा की गई नकद		1,100.00	सरकार को ब्याज हस्तांतरण (एचओ)	35,44,374.00	
			देय व्यय	-	
			नेट्रिप सोसायटी को राशि हस्तांतरण		
			फिक्सेस परिसंपत्तियों की खरीद	1,17,706.00	-

रराष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को	भुगतान	राशि (₹) 31.03.2016 को	राशि (₹) 31.03.2015 को
			IV. अंतिम शेष		
			क) उपलब्ध शेष	20,000.00	20,000.00
			ख) बैंक खाते		
			i) चालू खातों में	-	-
			ii) जमा खातों में	-	-
			iii) बचत खाते	11,01,88,477.00	2,74,97,128.00
कुल	**46,48,89,683.00**	**3,18,66,742.00**	कुल	**46,48,89,683.00**	**3,18,66,742.00**

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBL3043

दिनांक: 29-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

रराष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अवर सचिव

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अनुसूची संख्या-24

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में निगमित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई फेम योजना के संचालन और निगरानी के विशिष्ट उद्देश्य से है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. अचल संपत्ति

- सोसाइटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को अपने इच्छित उपयोग के लिए काम करने के लिए लाने के लिए किए गए हैं।
- अचल संपत्तियों के निपटान के समय, संपत्ति का बट्टे खाते में डाला गया मूल्य कम हो जाता है और शेष को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यह्रास

क) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर किया गया है।

ख) सरकारी अनुदान से सृजित आस्तियों पर मूल्यह्रास को संबंधित परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास की सीमा तक आस्थगित आय माना जाता है और इसे लेखा मानक-12 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन के अनुसार पूंजी पहुंच पद्धति अपनाते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. सरकारी अनुदान

(क) अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए फेम स्कीम के अंतर्गत सरकारी अनुदानों का हिसाब निर्धारित निधि के अंतर्गत किया जाता है। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे वह भुगतान किया गया हो अथवा देय हो, का हिसाब भी निर्धारित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

ख) फेम योजना के तहत प्रशासनिक व्यय अर्थात स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए सरकारी अनुदान को 'अन्य परियोजना अनुदान' शीर्ष के तहत दिखाया गया है और इस तरह के अनुदान के अप्रयुक्त शेष को वर्तमान देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के प्रति व्यय लेखा मानक-12 के अनुसार लेखांकन सरकारी अनुदानों के अनुसार पूंजीगत दृष्टिकोण मूल्यह्रास परिसम्पत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

6. प्रावधान

उपलब्ध सूचना के आलोक में अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का हिसाब रखा जाता है।

अनुसूची संख्या- 25

खातों और आकस्मिक देनदारियों के लिए नोट्स

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, समिति ने कुल प्रशासनिक व्यय ₹ 91,41,981 किया है और जिसके विरुद्ध संस्था ने एएस-12 के अनुसार 91,41,981 रुपये की आस्थगित अनुदान आय बुक की है और तदनुसार इसे स्थापना और बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए अनुदान के तहत आय के रूप में दिखाया गया है।

2. चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2015-16 के दौरान समिति ने ₹ 1,71,286 के अपरिशोधित प्रारंभिक खर्चों का 1/5 बट्टे खाते में डाल दिया है और इसे अन्य प्रशासनिक खर्चों में दर्शाया गया है। वर्ष की समाप्ति पर पड़ी ₹ 5,13,859 की अपरिशोधित राशि को बाद के वर्षों में बट्टे खाते में डाला जाना है और तदनुसार इसे 'विविध व्यय' शीर्ष के तहत दिखाया गया है (जिस सीमा तक बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)।

3. समिति ने बचत खाते में पड़ी अधिशेष निधियों पर वर्ष के दौरान बैंक से ₹ 32,22,555 का ब्याज अर्जित किया है। पिछले वर्ष देय ब्याज ₹ 3,22,073 था, इसलिए देय कुल राशि ₹ 35,44,628 थी। ये अधिशेष निधियां एमएचआई से प्राप्त विभिन्न अनुदानों के माध्यम से थीं। एमएचआई के निर्देशों के अनुसार इसे वापस करना होगा। चालू वर्ष के दौरान समिति ने ₹ 35,44,374 की राशि वापस की है, इसलिए चालू दायित्व शीर्ष के तहत ₹ 254 की शेष राशि दिखाई गई है।

4. वर्ष के दौरान सोसायटी को ₹ 2,00,00,000 का एक स्थापना और बुनियादी ढांचा निधि प्राप्त हुई है। सोसायटी ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 171,286 के प्रारंभिक व्यय सहित ₹ 91,41,981 का व्यय किया है। ₹ 2,38,84,751 के अप्रयुक्त शेष राशि स्थापना और बुनियादी ढांचा निधि को वर्तमान देनदारियों के तहत 'अन्य परियोजना अनुदान' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5. वर्ष 2015-16 के दौरान सोसायटी को अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए ₹ 2,50,00,000 की राशि प्राप्त हुई है। चालू वर्ष के दौरान समिति को इस तरह की निधि के खिलाफ ₹ 2,50,00,000 का दावा प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे अनुसंधान एवं विकास निधि से विनियोजित किया गया है और वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए ₹ 1,64,00,000 के प्रावधान का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के भुगतान के लिए किया गया है।

6. वर्ष 2015-16 के दौरान समिति को एमएचआई से मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) निधि के रूप में ₹ 38,91,50,000 की राशि प्राप्त हुई है। जिसमें से समिति ने वर्ष के दौरान ₹ 32,72,98,525 की राशि वितरित की है। इसके अलावा, दर्ज किए गए दावों के संबंध में, लेकिन वर्ष के अंत में कुल मिलाकर ₹ 13,71,45,200 के अस्वीकृत दावों के संबंध में, इसके लिए प्रावधान किया गया है और वर्तमान देयताओं और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। ₹ 6,18,51,475 के अप्रयुक्त डीआईडीएम फंड को विनियोजित करने के बाद ₹ 7,52,93,725 की अतिरिक्त राशि चालू परिसंपत्तियों के तहत डीआईडीएम फंड प्राप्य के रूप में दिखाई गई है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया जाता है, फिर से व्यवस्थित किया जाता है और जहां भी आवश्यक होता है वहां फिर से कास्ट किया जाता है ताकि वर्तमान आंकड़े को अधिक तुलनीय बनाया जा सके।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBL3043

दिनांक: 29-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अवर सचिव

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD, MANESAR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board as on 31 March 2016, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4, Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 21.2 of the Rules and Regulations of the Board In so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet as at 31 March 2016

A.I Current Liabilities and Provisions (Schedule-7): ₹ 1,860.88 lakh

National Automotive Board (NAB) received non-recurring Grants-in-Aid amounting to ₹ 2.00 crore during the year 2015-16. As per sanction order of the Administrative Ministry, the Grants-in-Aid was to be utilised towards salary of staff, hiring of office premises, purchase of

office equipment, remuneration and fee. NAB utilised an amount of ₹1,17,706 out of the above grants towards purchase of fixed assets which have been capitalised in the accounts and depreciation thereon amounting to ₹45,943 has been provided during the year. Thus, Grants-in-aid should have been capitalised to the extent of ₹1,17,706 in line with the provisions of Accounting Standard-12, However, NAB has only recognised the Grants-in-aid in the Income and Expenditure Account to the extent of depreciation charged on fixed assets and has not presented the 'Deferred Income' in the Balance Sheet.

Thus, non-capitalisation of Grants-in-aid utilised towards purchase of fixed assets resulted in understatement of Capital Fund (Deferred Income) and overstatement of Current Liabilities (Unutilised Grants) by ₹71,763(₹1,17,706 - ₹45,943).

B. General Comments

B.1 Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June. Further, Annual Report and Audited Accounts should be submitted to the Nodal Ministry for it to be laid on the Table of Parliament by 31st December.

The audit of National Automotive Board (NAB) for the years 2013-14 to 2017-18 was entrusted to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) in February 2019. The accounts of NAB for the years 2013-14 to 2017-18 were received in February 2020. The Separate Audit Report (SAR) on the accounts of NAB for the year 2013-14 was issued on 6 November 2020 but has not been laid in both houses of the Parliament till date.

Further, pursuant to the audit observations issued during the audit of accounts for the years 2014-15 to 2017-18, NAB recast the annual accounts for the years 2014-15 to 2017-18 and submitted the same for audit on 4 October 2023. SAR on the recast accounts for the year 2014-15 was issued on 21 February 2024. In view of the comments included in the SAR, NAB again recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as per recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024.

The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes to Accounts.

B.2 The impact of recasting of annual accounts for the year 2015-16 by NAB is as under:

(i) **Balance Sheet :** Capital Fund decreased by ₹145.51 lakh, Current Liabilities and Provisions increased by ₹897.46 lakh and Total Assets increased by ₹751.95 lakh.

(ii) **Income and Expenditure Account :** Total Income decreased by ₹4,250.08 lakh, Total Expenditure decreased by ₹4,381.60 lakh and Deficit in Income and Expenditure Account decreased by ₹131.52 lakh.

B.3 As per Clause 15.3(b) of the Rules and Regulation of NAB, the Governing Council shall hold at least one meeting within every six months at such time and place as the Chairman may determine. Further, as per Clause 10.2 of the Rules and Regulations, the Annual General Meeting of NAB shall be held at least once in every year at such time and place as may be determined by the

Governing Council. However, during the year 2015-16, neither any meeting of the Governing Council was held, nor the Annual General Meeting was held.

C. Grants-in-Aid

The position of receipt and utilisation of grants-in-aid by NAB during the year 2015-16 was as under:

(₹ in lakh)

Particulars	Establishment and Infra Grant	R&D Grant	DIDM Grant	Total
Balance as on 1 April 2015	130.27	-	-	130.27
Grants received during the year	200.00	250.00	3,891.50	4,341.50
Grants receivable	-	-	752.94	752.94
Grants utilised during the ear	92.14 (See Footnote)	250.00	4,644.44	4,986.58
Balance as on 31 March 2016	**238.13**	-	-	**238.13**

Besides, interest amounting to ₹32.22 lakh was earned on grants-in-aid during the year 2015-16.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Account and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure I** to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

[1] *Amount utilised against 'Establishment and Infra Grant' comprises Establishment expenses of ₹15.86 lakh, Other Administrative Expenses of ₹75.10 lakh and Purchase of Fixed Assets of ₹1. 18 lakh.*

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board, Manesar as of 3 1 March 2016; and

(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account, of the Surplus/Deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 12 NOV 2024

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs

Annexure I to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

There was no internal audit system in NAB, and internal audit was not conducted during the year 2015-16.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization. NAB received grants and incurred expenditure during the FY 2015-16. However, NAB was not staffed by regular manpower, and activities of NAB were being looked after by officers/ officials from the Department of Heavy Industry (DHI), now Ministry of Heavy Industries, in addition to their respective charges in DHI.

3. System of physical verification of Fixed Assets

NAB did not conduct physical verification of Fixed Assets during the year 2015-16.

4. System of physical verification of inventory

NAB did not have any inventory during the year 2015-16.

5. Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in payment of statutory dues during 2015-16.

R. Gowtham

Director (AMG-III)

S. No.	C&AG's Comments (FY 2015-16)	NAB's Explanation
A.1	National Automotive Board (NAB) received non-recurring Grants-in – Aid amounting to ₹2.00 crore during year 2015-16. As per sanction order of the Administrative Ministry, the Grants-in – Aid was to be utilized towards salary of staff, hiring of office premises, purchase of office equipment, remuneration and fee. Nab utilized and amount of ₹1,17,706 out of the above grants towards purchase of fixed assets which have been capitalized in the accounts and depreciation thereon amounting to ₹45,943 has been provided during the year. Thus Grants-in-Aid should have been capitalized to the extent of ₹1, 17,706 in line with the provisions of Accounting Standard -12. However, NAB has only recognized the Grants-in- Aid in the Income and Expenditure Account to the extent of depreciation charged on fixed assets and has not presented the 'Deferred Income in the Balance Sheet. Thus, non-capitalization of Grants-in-Aid utilized towards purchase of Fixed assets resulted in understatement of Capital Fund (Deferred Income) and overstatement of Current Liabilities (Unutilized Grants) by ₹71,763 (₹1,17,706,- ₹46,943).	During the FY 2015-16, NAB received Non Plan/Non-recurring Grants-in-aid amounting to ₹2 cr. during 2015-16 vide sanction order no. 7(09)/2016-AEI(9357) dated 30.03.2016. As per sanction order of the Administrative Ministry, it was issued for Non-recurring Grants-in-aid towards establishment/infrastructure and other running expenditure (salaries of staff of NAB, hiring of office premises, purchase of office equipment, remuneration and fee) i.e. Revenue Grant. It is noteworthy to mention here that Capital Grants are given without any restriction. Apart from above, this Grant was issued for specific purpose towards establishment/ infrastructure and other running expenditure (salaries of staff of NAB, hiring of office premises, purchase of office equipment, remuneration and fee. Relevant Accounting provisions prescribed under Accounting Standard (AS) -12 are as mentioned below: *Para 10.1 Where the government grants are of the nature of promoters'contribution, i.e., they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay (for example, central investment subsidy scheme) and no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income.* *Para 8. Presentation of Grants Related to Specific Fixed Assets:* *As per para 8.2 of AS-12 prescribes Two methods of presentation in financial statements of grants (or the appropriate portions of grants) related to specific fixed assets are regarded as acceptable alternatives.* *Para 8.3 Under one method, the grant is shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value. The grant is thus recognised in the profit and loss statement over the useful life of a depreciable asset by way of a reduced depreciation charge. Where the whole, or virtually the whole, of the cost of the asset, the asset is shown in the balance sheet at a nominal value.*

		Para 8.4 Under the other method, ***grants related to depreciable assets are treated as deferred income which is recognised in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the asset.*** *Such allocation to income is usually made over the periods and in the proportions in which depreciation on related assets is charged. Grants related to non-depreciable assets are credited to capital reserve under this method, as there is usually no charge to income in respect of such assets. However, if a grant related to a non-depreciable asset requires the fulfillment of certain obligations, the grant is credited to income over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to income. The deferred income is suitably disclosed in the balance sheet pending its apportionment to profit and loss account. For example, in the case of a company, it is shown after 'Reserves and Surplus' but before 'Secured Loans' with a suitable.* In view of above, as prescribed in AS-12, NAB has followed the second method as stated in para 8.4 as under: (i) Grants-in-aid towards establishment/ infrastructure and other running expenditure comprising of salaries of staff of NAB, hiring of office premises, remuneration and fee, which were primarily revenue expenditure in nature and were debited as expenditure and correspondingly credited as deferred income under Income & Expenditure Account. (ii) Grants-in-aid towards establishment/ infrastructure relating to purchase of office equipment have been debited to fixed assets in Balance sheet and deprecation thereof has been debited as expenditure and correspondingly credited as deferred income under Income & Expenditure Account.
B.1	Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that the approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June. Further, Annual Report and Audited Accounts should be submitted to the Nodal Ministry for it to be laid on the Table of Parliament by 31st December.	The accounts of NAB for the years 2013-14 to 2017-18 were submitted to C&AG in February 2020. The Separate Audit Report (SAR) on the accounts of NAB for the year 2013-14 was issued on 6 November 2020, meanwhile due to Covid-19 pandemic, winding up of NATIS and amalgamation procedure (which was completed in February 2023), the Annual Accounts of NAB for FY 2013-14 could not laid in Parliament.

	The audit of National Automotive Board (NAB) for the years 2013-14 to 2017-18 was entrusted to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) in February 2019. The accounts of NAB for the years 2013-14 to 2017-18 were received in February 2020. The Separate Audit Report (SAR) on the accounts of NAB for the year 2013-14 was issued on 6 November 2020 but has not been laid in both houses of the Parliament till date. Further, pursuant to the audit observations issued during the audit of accounts for the years 2014-15 to 2017-18, NAB recast the annual accounts for the years 2014-15 to 2017-18 and submitted the same for audit on 4 October 2023. SAR on the recast accounts for the year 2014-15 was issued on 21 February 2024. In view of the comments included in the SAR, NAB again recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as per recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024. The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes of Accounts.	In terms of the Government mandate, NATRIP Implementing Society (NATiS) was setup towards creation of word class Testing Infrastructure in India. Further after completion of project, vide MHI order dated 17.03.2021, NAB took over the NATIS. As per the mandate, NAB commenced its operation with the support of secretariat NATIS and administrating the centres viz. GARC, NATRAX, ICAT etc., which were created under NATIS. Earlier, NAB had limited function. NAB released the payments under FAME Scheme. These Schemes were being managed by MHI (earlier DHI) officials and fund disbursement to NAB was being routed through PAO, MHI. NAB started its full fledge functioning as Society after amalgamation of NATIS into NAB and the Secretariat of NATIS taking over functioning of NAB activities. Further, pursuant to the audit observations issued during the audit of accounts for the years 2014-15 to 2017-18, NAB recast the annual accounts for the years 2014-15 to 2017-18 and submitted the same for audit on 4 October 2023. SAR on the recast accounts for the year 2014-15 was issued on 21 February 2024. In view of the comments included in the SAR, NAB again recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as per recommendations of a meeting held on 28 February 2024 in MHI with C&AG officials. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024, after fresh GC approval. After amalgamation, Annual Accounts of NAB FY 2014-15 onwards have been recast as per previous comments of C&AG and submitted to C&AG for final comments. Now, C&AG has issued the SAR for FY 2015-16 on 12.11.2024 as **"true & fair view"**. These Annual Accounts for FY 2013-14 and 2015-16 along with C&AG Report are being placed in Both the Houses of Parliament after the approval of GC/AGM, NAB. The above delay were due to the following reasons: (i) Accounts were not prepared as per format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies. (ii) Covid-19 pandemic started in India since March, 2020. (iii) Amalgamation of NATIS with NAB under process. With regard to the recasting of accounts, it is also informed that on face of Balance Sheet, Income & Expenditure account and last page of notes to the account, it is mentioned that Annual Accounts are "Certified as per re-casted books of accounts in accordance with Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies"

<table>
<tr>
<td>B.2</td>
<td>The impact of recasting of annual accounts for the year 2015-16 by NAB is as under :

(i) Balance Sheet: Capital Fund decreased by ₹145.51 lakh, Current Liabilities and provisions increased by ₹897.46 lakhs and Total Assets increased by ₹751.95lakh.

(ii) Income and Expenditure Account: Total Income decreased by ₹4,250.08 lakh, Total Expenditure decreased by ₹4,381.60 lakh and Deficit in Income & Expenditure Account decreased by ₹131.52 lakh.</td>
<td>Noted, it is due to recasting of Annual Accounts as per uniform format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies</td>
</tr>
<tr>
<td>B.3</td>
<td>As per Clause 15.3(b) of the Rules & Regulations of NAB, the Governing Council shall hold at least one meeting within every six months at such time and place as the Chairman may determine. Further, as per Clause 10.2 of the Rules & Regulations, the Annual General Meeting of NAB shall be held at least once in every year at such time and place as may be determined by the Governing Council. However, during the year 2015-16, neither any meeting of the Governing Council was held, nor the Annual General Meeting was held.</td>
<td>Society was registered on 27th August, 2013. The year wise Society has conducted following meetings which are as under:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Year</th><th>GC Meeting</th><th>AGM/EGM</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2013</td><td>1st 02.09.2013</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2014</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>2015</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>2016</td><td>2nd 08.04.2016</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>2017</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>2018</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>2019</td><td>3rd 15.10.2019</td><td>1st 15.10.2019</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2020</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>2021</td><td>NIL</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>2022</td><td>4th 09.02.2022</td><td>2nd 09.02.2022</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5th 02.11.2022</td><td>02.11.2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>2023</td><td>6th 06.04.2023</td><td>3rd 06.04.2023</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7th 25.08.2023</td><td>25.08.2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>2024</td><td>8th 19.07.2024</td><td></td></tr>
</table>
Further, vide MHI order dated 17.03.2021, NAB took over the NATIS. As per the mandate, NAB commenced its operation with the support of secretariat NATIS and administrating the centres viz. GARC, NATRAX, ICAT etc., which were created under NATIS. Now, after amalgamation, these employees of NATIS (refer transferor society) are now the employees of NAB (refer transferee society).</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NATRIP project was completed in Year 2021 and the procedure of amalgamation of NATIS with NAB was completed in February, 2023.

Earlier, NAB had limited function. NAB had released the payments of incentives under FAME Scheme. These Schemes were being managed by MHI (earlier DHI) officials and fund disbursement to NAB was being routed through PAO, MHI. NAB started its full fledge functioning as Society after amalgamation of NATIS into NAB and the Secretariat of NATIS taking over functioning of NAB activities.

Currently from year 2022, Society is conducting the GC meeting, AGM etc. on regular basis.</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Grant-in-aid

The position of receipt and utilization of grants –in-aid by NAB during the year 2015-16 was as under:
(₹ in lakh)
<table>
<tr><th>Particu-lar</th><th>Estab-lishment and Infra Grant</th><th>R&D Grant</th><th>DIDM Grant</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Balance as on 1 April 2015</td><td>130.27</td><td>-</td><td>-</td><td>130.27</td></tr>
<tr><td>Grants received during the year</td><td>200.00</td><td>250.00</td><td>3,891.50</td><td>4,341.50</td></tr>
<tr><td>Grants receiva-ble</td><td>-</td><td>-</td><td>752.94</td><td>752.94</td></tr>
<tr><td>Grants utilized during the year</td><td>92.14</td><td>250.00</td><td>4,644.44</td><td>4,986.58</td></tr>
<tr><td>Balance as on 31 March 2016</td><td>238.13</td><td>-</td><td>-</td><td>238.13</td></tr>
</table>
Besides, Interest amounting to ₹ 32.22 lakh was earned on Grants-in-Aid during the year 2015-16.</td>
<td>Noted</td>
</tr>
</table>

D.	**Management Letter** Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a management letter issued separately for corrective action.	Noted

Annexure 1 to Separate Audit Report		
1	**Adequacy of Internal Audit System.** There was no internal audit system in NAB, and internal audit was not conducted during the year 2015-16.	After amalgamation of NATIS with NAB, Internal Audit has also been started from FY 2021-22 onwards.
2	**Adequacy of Internal Control System** The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization. NAB received grants and incurred expenditure during the FY 2015-16. However, NAB was not manned by regular manpower, and activities of NAB were being looked after by officers/officials from Department of Heavy Industry (DHI) in addition to their respective charges in DHI.	Further, vide MHI order dated 17.03.2021, NAB took over the NATIS. As per the mandate, NAB commenced its operation with the support of secretariat NATIS and administrating the centres viz. GARC, NATRAX, ICAT etc., which were created under NATIS. Now, after amalgamation, these employees of NATIS (refer transferor society) are now the employees of NAB (refer transferee society). NATRIP project was completed in Year 2021 and the procedure of amalgamation of NATIS with NAB was completed in February, 2023. Currently, to further support the NAB operations, additional Charge of the post of three (3) Functional Member, NAB and post of five (5) Director, NAB have been entrusted to the officials posted at MHI.
3	**System of physical verification of Fixed Assets** NAB did not conduct physical verification of Fixed Assets during the year 2015-16.	Society having the Fixed Assets at Gross Value if ₹ 1.18 Lakhs (net value ₹ 0.72 Lakhs) only as on 31.03.2016. Details of Assets are as under: One no. of Computer including software One no. of UPS Two no. of Printer Details of Fixed Assets Register and its existence was given to audit team, which was in line with books of accounts.
4	**System of Physical Verification of inventory** NAB did not have any inventory during the year 2015-16.	Noted
5	**Regularity in payment of Statutory dues** NAB was regular in payment of statutory dues during 2015-16.	Noted

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉपोरेट कार्यालय : द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122051
दूरभाष:+91-124-6900000